न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 135/2025 बउनवानी आसिफउद्दीन **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूँगर

GCMS No-2025/294

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एलआईजीएच/96–97/736 दिनांक 29.3.1997 मे कम संख्या 4 पर श्रीमति कल्याणी देवी पत्नि नारायण माली निवासी सवाईमाधोपुर राशि 21000/–रू के संबंध में इजाजत नामे, स्वामित्व प्रमाण,नक्शे की प्रति, जमा राशि की रसीद की प्रति मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति** " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक:एफ.13(01)(115)/सूकाअ/2025/1153 दिनांक 23.9..2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2025 मे चाही गयी सूचना श्रीमति कल्याणी देवी की निजी/व्यक्तिगत सूचना होने के कारण अपीलान्ट या अन्य तृतीय पक्ष को नही दी जा सकती है जिसके संबंध मे प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग के पत्रांक 3033–34 दिनांक 14.8.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना श्रीमति कल्याणी देवी की निजी/व्यक्तिगत होने के कारण अपीलान्ट या अन्य किसी भी तृतीय पक्ष को नही दी जा सकती है। जिसके संबंध मे प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग के पत्रांक 3033 दिनांक 14.8.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner